[2021] 6 एस. सी. आर 1131

मिल्की रैम

वी.

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

(2010 की सिविल अपील सं. 1346)

08 अक्टूबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-समाप्ति-दीवानी अदालत के समक्ष मुकदमा: दीवानी अदालत के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है

आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों पर संरचित एक वाद पर विचार करें-इस प्रकार, वर्तमान मामले में अपीलार्थी-कर्मचारी के पक्ष में डिक्री एक कानूनी शून्य है-इस हद तक उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा गया है, हालांकि, अपीलार्थी की कठिनाई को देखते हुए, अदालत के डिक्री के अनुसार भुगतान किए गए बकाया की वसूली नहीं की जाएगी।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

निष्पादन न्यायालय सहित क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने संशोधन में निचली अदालत को पलट दिया अदालत का आदेश और घोषणा की कि वादी के पक्ष में डिक्री कोरम गैर-न्यायिक के सिद्धांत से प्रभावित है और इसलिए, यह एक शून्य है। यह न्यायालय निम्न न्यायालयों द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ है और यह सुविचारित राय है कि सिविल न्यायालय के पास इस पर संरचित मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आईडी अधिनियम के प्रावधान। वादी के पक्ष में डिक्री एक कानूनी निरर्थकता है और इस हद तक उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा जाता है। हालांकि, बर्खास्त कर्मचारी की कठिनाई को देखते हुए, अदालत के आदेश के अनुसार उसे भुगतान की गई बकाया राशि की वसूली नहीं की जानी चाहिए। [पारस 13,14,16 और 17] [1135-ई-एच; 1136-ए-बी, ई-एफ]

राजस्थान एस. आर. टी. सी. और अन्य बनाम खादरमल 2006 (1) एससीसी

59 ; राजस्थान एस. आर. टी. सी और ए. एन. आर. बनाम. उगमा राम चौधरी

2006 (1) एस. सी. सी. 61; राजस्थान एस. आर. टी. सी बनाम कृष्ण कांत

1995 (5) एससीसी 75: [1995] 3 एससीआर 1118; राजस्थान एसआरटीसी

बनाम जाकिर हुसैन 2005 (7) एस. सी. सी. 447 [2005] 2 सप्लीमेंट।

एस. सी. आर. 786 पर भरोसा किया। परिवहन निगम और अन्य। बनाम मोहर सिंह 2008

(5) एससीसी 542: [2008] 6 एस. सी. आर. 890 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 6 एससीआर 890

पैरा

11

संदर्भित किया गया है

[1995] 3 एससीआर 1118

उस पर भरोसा करें

पैरा

15

[2005] 2 पूरक। एससीआर 786

उस पर भरोसा करें

15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.1346

2010 .

उच्च न्यायालय के 06.11.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 के सिविल संशोधन सं. 16 में शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा।

अजीत सिंह पुंडीर, अरिजीत सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

नरेश के. शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

1. श्री अजीत सिंह पुंडिर की ओर से पेश विद्वान वकील ने सुना

अपीलार्थी (वादी)। प्रतिवादी (प्रतिवादी) की ओर से पेश विद्वान वकील श्री नरेश के. शर्मा को भी सुना गया।

2. यहाँ चुनौती 6.11.2008 के निर्णय को दी गई है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसके तहत प्रतिवादी की सिविल संशोधन संख्या 16/2006 को इस टिप्पणी के साथ अनुमति दी गई थी कि सिविल न्यायालय के पास औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "आई. डी. अधिनियम") के आधार पर दीवानी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसलिए, निर्णय मिलखी राम बनाम।

और वादी के पक्ष में डिक्री एक शून्य है। अदालत ने यह भी कहा कि

कि अधिकारिता के अभाव पर याचिका कार्यवाही के निष्पादन के चरण में भी उठाई जा सकती है। 3. अपीलार्थी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित) के तहत एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी था। अस्थायी कर्मचारी की सेवा आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई थी।

दिनांक 1.1.1985 कार्यकारी अभियंता द्वारा जारी किया गया। इसे सिविल सूट नंबर 100/1985 में चुनौती दी गई थी। वादी ने प्रस्तुत करने का दावा किया 2778 दिनों के लिए निर्बाध सेवा और 240 दिनों की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद नियमित होने के अधिकार पर जोर दिया। प्रतिवादी ने इसके विपरीत तर्क दिया कि वादी ने कभी भी 240 दिनों की निरंतर अवधि के लिए काम नहीं किया और इस तरह वह नियमितीकरण का दावा करने के लिए अयोग्य है।

4. क्या दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र है और क्या वादी ने 240 दिनों की निर्बाध सेवा पूरी की थी, ये मुख्य मुद्दे थे।

5. बोर्ड ने उपरोक्त निर्णय को 1985 के दीवानी मुकदमा संख्या 100 में जिला न्यायाधीश, धर्मशाला के समक्ष दीवानी अपील संख्या 123/1988 दायर करके चुनौती दी। दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र पर फिर से सवाल उठाया गया लेकिन अपीलीय अदालत ने कहा कि अधिकार क्षेत्र का सवाल कानून और तथ्यों का एक मिश्रित सवाल है और चूंकि मुकदमा लंबे समय से जारी है, इसलिए वादी को श्रम अदालत में भेजना उचित नहीं होगा। अपीलीय अदालत के अनुसार कर्मचारी को चुनने का अधिकार था सिविल न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय के समक्ष उपचार। चूंकि दैनिक मजदूरी की सेवा समाप्त कर दी गई थी, इसलिए इसे आई. डी. अधिनियम की धारा 25 एफ के अनुपालन के बिना एक छंटनी माना गया था। बोर्ड द्वारा उठाई गई अधिकार क्षेत्र संबंधी आपत्ति को अस्वीकार करके वादी के पक्ष में डिक्री को तदनुसार बरकरार रखा गया था।

6. डिक्री के लिए निर्णय देनदार की आगे की चुनौती पर विचार नहीं किया गया और फिर बोर्ड ने नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया

नियमित वेतनमान में एल. डी. सी. के पद के लिए समाप्त दैनिक दांव, 1.9.2001 (अनुलग्नक पी4) से प्रभावी है। नियुक्ति के जवाब में [2021] 6 एस. सी. आर.

प्रस्ताव पर, अपीलार्थी ने 1.9.2001 (अनुलग्नक पी5) पर एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी, लेकिन चूंकि इसे विभिन्न शर्तों के साथ हेज किया गया था, इसलिए प्रबंधन द्वारा ज्वाइनिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की गई।

7. उपरोक्त के बाद, डिक्री धारक ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के समक्ष 1985 के सिविल सूट नंबर 100 में डिक्री (12.10.1988) के निष्पादन के लिए आवेदन किया। निर्णय देनदार ने इस अनुमान के साथ आवेदन की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई कि डिक्री धारक को सभी पिछले वेतन का भुगतान किया गया था और उसे 22.8.2001 पर LDC के पद की पेशकश भी की गई थी और चूंकि डिक्री धारक ने एक सशर्त ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी थी और नियमों के अनुसार एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट फिर से जमा करने की आवश्यकता थी, इसलिए डिक्री के निष्पादन के लिए आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। निष्पादन अदालत ने बोर्ड की आपत्ति को खारिज कर दिया और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सी. पी. सी".) के आदेश XXI नियम 32 के तहत डिक्री धारक के आवेदन को बोर्ड को डिक्री को प्रभावी बनाने का निर्देश देकर अनुमति दी गई।

8. अदालत को निष्पादित करने के आदेश को बोर्ड द्वारा सिविल संशोधन संख्या 16/2006 में चुनौती दी गई थी। बोर्ड ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि दीवानी अदालत के पास पहचान पत्र अधिनियम से उत्पन्न दावे पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और पीड़ित कर्मचारी के लिए राहत केवल औद्योगिक अदालत द्वारा दी जा सकती थी। यह आगे तर्क दिया गया कि अधिकार क्षेत्र के अभाव की याचिका किसी भी स्तर पर उठाई जा सकती है और वर्तमान डिक्री एक कानूनी अयोग्यता है।

9. दूसरी ओर, डिक्री धारक ने बताया कि समवर्ती निष्कर्ष वादी के पक्ष में दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा, अदालत ने

वादी के पक्ष में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का जवाब दिया। इस प्रकार निर्णय देनदार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन में चुनौती की स्थिरता पर बर्खास्त कर्मचारी द्वारा सवाल उठाया गया था।

10. नियोक्ता द्वारा पूछे गए अधिकार क्षेत्र संबंधी प्रश्न का समाधान करने के लिए,

विद्वान न्यायाधीश ने राजस्थान एस. आर. टी. सी. और अन्य में निर्णयों का उल्लेख किया। बनाम खादरमल 1, राजस्थान एस. आर. टी. सी. और ए. एन. आर. बनाम उगमा राम चौधरी 2 और राय दी कि दीवानी अदालत के पास आई. डी. अधिनियम के आधार पर दावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और यदि अदालत द्वारा कोई डिक्री पारित की जाती है अधिकारिता के बिना, इसका कोई कानूनी बल नहीं होगा। इन दोनों निर्णयों में अनुपात के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि दीवानी न्यायालय के पास आई. डी. अधिनियम के आधार पर मुकदमे पर विचार करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव है और इस तरह से पारित निर्णय और डिक्री अमान्य हैं। यह आगे देखा गया कि डिक्री के अमान्य होने की याचिका को भी इस स्तर पर उठाया जा सकता है -

1 (2006) 1 एस. सी. सी 59

2 (2006) 1 एस. सी. सी. 61 मिल्खी राम बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड [ऋषिकेश रॉय, जे.]

निष्पादन। निर्णय देनदार द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को तदनुसार वादी के पक्ष में पारित डिक्री को दरकिनार करके अनुमति दी गई थी।

12. दूसरी ओर, प्रतिवादी बोर्ड के विद्वान वकील श्री नरेश के. शर्मा विवादित फैसले के समर्थन में दोहराते हैं उच्च न्यायालय के समक्ष किया गया तर्क और प्रस्तुत करता है कि नागरिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया जाता है जब दावा किया जाता है कि राहत आईडी अधिनियम पर आधारित होती है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि जब दीवानी अदालत के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, तो डिक्री एक शून्य के अलावा और कुछ नहीं है और इस तरह के शून्य डिक्री के आधार पर वादी द्वारा कोई राहत का दावा नहीं किया जा सकता है। नियोक्ता की ईमानदारी को प्रदर्शित करने के लिए, श्री शर्मा ने एल. डी. सी. के पद की पेशकश करने वाले 22.8.2001 दिनांकित पत्र का उल्लेख किया और बताया कि कैसे उक्त प्रस्ताव केवल फलीभूत नहीं हुआ।

अपीलार्थी की दृढ़ता के कारण, जो एक उचित ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा। जहां तक दीवानी अदालत द्वारा आदेशित पिछले वेतन की राहत का सवाल है, वकील प्रस्तुत करता है कि बोर्ड पहले ही अपीलार्थी को बकाया वेतन भेज चुका है।

13. पक्षों की उपरोक्त दलीलें इंगित करती हैं कि यहां विचार करने के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या बर्खास्त कर्मचारी के कहने पर दीवानी अदालत के समक्ष मुकदमा बनाए रखने योग्य था। सिविल न्यायालयों के पास सेवा मामलों में सीमित अधिकार क्षेत्र हो सकता है, लेकिन अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय के लिए अधिकार क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो सकता है। आई. डी. अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अधिकारियों सहित

उपयुक्त सरकार और औद्योगिक अदालतें विभिन्न कार्य करती हैं और आई. डी. अधिनियम "सेवा की समाप्ति" की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है, जो सेवा की समाप्ति की पूर्व शर्त है। उनका उल्लंघन करने के परिणाम भी आई. डी. अधिनियम में दिए गए हैं। जब कोई वादी सामान्य कानून उपचार का विकल्प चुनता है, तो वह सिविल उपचार में से किसी एक का चयन कर सकता है। अदालत या औद्योगिक मंच।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी

आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों पर मुकदमे में दावा और इसलिए नियोक्ता दीवानी अदालत के समक्ष कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र में आपत्ति उठाने का हकदार है। निष्पादन न्यायालय सहित निम्न न्यायालय क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति को नकार दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने संशोधन में निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है और घोषणा की है कि वादी के पक्ष में डिक्री गैर-न्यायिक के सिद्धांत से प्रभावित है और इसलिए, यह एक शून्य है।

15. उद्धृत मामले अर्थात खादरमल (ऊपर) और उगमा राम

सेवा समाप्ति की चुनौती को स्वीकार करते हुए राय दी कि दीवानी अदालत के पास ऐसे मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तरह के निष्कर्ष के लिए, अदालत ने राजस्थान एस. आर. टी. सी. बनाम कृष्ण कांत 1 और राजस्थान एस. आर. टी. सी. बनाम जाकिर हुसैन 3 में पहले के दो फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि कब दीवानी अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उन कार्यवाहियों में पारित डिक्री में कानून का कोई बल नहीं हो सकता है। बर्खास्त कर्मचारी को पहले से ही वितरित पिछले वेतन पर, उगमा राम चौधरी (उपरोक्त) मामले में, अदालत ने न्यायसंगत सिद्धांतों पर कहा कि वितरित राशि कर्मचारी से वसूल नहीं की जानी चाहिए।

16. जैसा कि अभिलेख पर सामग्री से देखा जा सकता है, चुनौती

यह समाप्ति आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित थी। यद्यपि क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति उठाई गई थी और नियोक्ता के कहने पर एक विशिष्ट मुद्दा तैयार किया गया था, इस मुद्दे का जवाब प्रतिवादी के खिलाफ दिया गया था। यह न्यायालय निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ है और यह सुविचारित राय है कि दीवानी न्यायालय के पास आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों पर संरचित मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। वादी के पक्ष में डिक्री एक कानूनी अयोग्यता है और इस हद तक उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा जाता है।

17. नतीजतन, अपील योग्यता से रहित पाई जाती है और

उसी को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, बर्खास्त कर्मचारी की कठिनाई को देखते हुए, अदालत के आदेश के अनुसार उसे भुगतान की गई बकाया राशि की वसूली नहीं की जानी चाहिए। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है। पक्षकारों को अपना खर्च खुद वहन करना होगा।

याचिका खारिज कर दी गई।

4 (1995) 5 एससीसी 75 5 (2005) 7 एससीसी 447